



2026:AHC: 129388

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19656/2026

आरिफ उर्फ समीर उर्फ पप्पी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: धर्मराज सिंह, मनीष कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दाखिल किया गया द्वितीय अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सिंह, तथा राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री पुरुषोत्तम मौर्य को सुना गया।
3. यह बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत एक आवेदन है, जिसे आवेदक की ओर से थाना- एतमादपुर, जिला- आगरा में मुकदमा अपराध संख्या 447 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 309(6), 317(2) और 3(5) के संबंध में जमानत पर रिहा करने के लिए दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचनादाता द्वारा 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध 13.11.2025 को बी.एन.एस.एस. की धारा 304(2) के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो अपराध के कारित होने से संबंधित है कि प्रथम सूचनादाता आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के साथ यात्रा कर रहा था और उसके बाद कीमती सामान चोरी हो गए थे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है और इस संबंध में बरामदगी थोपी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तर संख्या 21 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि मुकदमा अपराध संख्या 456 वर्ष 2025 में, प्रथम अनुपूरक शपथ-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 518 वर्ष 2023 के प्रस्तर संख्या 3 में, मुकदमा अपराध संख्या 330 वर्ष 2022 और दूसरे अनुपूरक शपथ-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 314 वर्ष 2017 में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है।

5. विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि अपराध बनते हैं। यद्यपि आवेदक ने आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है लेकिन वह अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। हालांकि, वे इस बात का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक 19.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

6. प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने पर, प्रथम दृष्टया, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है, आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है और वह 19.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

7. आवेदक- आरिफ उर्फ समीर उर्फ पप्पी को मुकदमा अपराध संख्या 447 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 309(6), 317(2) और 3(5) के अंतर्गत, थाना- एतमादपुर, जिला- आगरा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या साक्षीगण को न ही धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।
- (iv) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।
- (v) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

8. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। आवेदक को जमानत देने में की गई कोई भी टिप्पणी विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश को साक्षीगण की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

10. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जून, 2026

राजेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”